दिनांक–11.02.2025 को माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति– श्री कृष्णनन्दन पासवान, मा0 मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग/श्री बी॰ कार्तिकेय, सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/श्री अनिल कुमार झा, ईखायुक्त, बिहार/श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, संयुक्त निदेशक, ईख विकास/श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, संयुक्त ईखायुक्त/श्री वेदव्रत कुमार, सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय/श्री अरूण कुमार, अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग/श्री कुमार कानन, ईख पदाधिकारी, सिवान (प्रतिनियुक्त मुख्यालय)/श्री सौरभ कुमार, ईख पदाधिकारी, पूर्णियाँ (प्रतिनियुक्त मुख्यालय)।

मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना–

1. बैठक में वित्तीय वर्ष 2024–25 में संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के प्रगति की समीक्षा किया गया। इस हेतु प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनांतर्गत कुल स्वीकृत/आवंटित 2660.00 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक 350.59 लाख रू0 व्यय हुआ है।
2. प्रजनक बीज उत्पादन मद में 35 हे0 के लिए आवंटित राशि कुल 77.00 लाख रू0 को दोनों संस्थान यथा–भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को 29 हे0 तथा ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा को 06 हे0 के लिए राशि उपलब्ध करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि वर्तमान लक्ष्य 35 हे0 को 100 हे0 तक बढ़ाने का प्रयास किया जाय ताकि आधार/प्रमाणित बीज का अधिक मात्रा में उत्पादन हो जिससे अधिक से अधिक गन्ना किसानों को उन्नत किस्म का गन्ना बीज प्राप्त हो सके। अन्य गन्ना संस्थानों से भी वार्ता कर आवश्यतानुसार एम0ओ0यू0 किये जाने पर कार्रवाई का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित गन्ना अनुसंधान संस्थान)
3. आधार बीज उत्पादन हेतु विभागीय पत्रांक–1149/ई.का. दिनांक–05.11.2024 के द्वारा प्रभेदवार प्रजनक बीज उठाव हेतु बीज की मात्रा एवं उस अनुरूप संशोधित लक्ष्य संबंधी पत्र प्रेषित किया जा चुका है। प्रजनक बीज का संबंधित संस्थान से उठाव कर रोपाई का कार्य शीघ्र पूरा करने एवं वित्तीय उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया। वर्तमान लक्ष्य 350 हे0 को भी बढ़ाने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)
4. प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण मद के समीक्षा में पाया गया कि कुल स्वीकृत लक्ष्य 6,20,000 क्वींटल के विरूद्ध अभी तक 4,90,306 क्वींटल का ऑनलाईन आवेदन केन केयर पोर्टल पर प्राप्त हुआ है। निदेश दिया गया कि शीघ्र सत्यापन कर बीज उठाव हेतु चालान जारी किया जाय तथा वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की जाय। वर्तमान लक्ष्य 6,20,000 क्वींटल को बढ़ाने का निदेश दिया गया। इसपर ईखायुक्त द्वारा कहा गया कि प्रमाणित गन्ना बीज के साथ–साथ सत्यापित गन्ना बीज को भी योजना में शामिल किया जा सकता है एवं उसपर गन्ना किसानों को अनुदान उपलब्ध कराया जा सकता है।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)
5. मसूर/राई/सरसों की अंतरवर्ती खेती मद की समीक्षा में कुल लक्ष्य 2490 एकड़ के विरूद्ध 805 एकड़ प्रतिवेदित है। गर्मा मूंग बीज मद में कुल लक्ष्य 3000 एकड़ के विरूद्ध सभी के द्वारा बिहार राज्य बीज निगम से बीज का आरक्षण कराया गया है परन्तु अभी तक मूंग की बीज की आपूर्ति नहीं हुई है। सचिव द्वारा बिहार राज्य बीज निगम के अलावे अन्य विकल्प यथा–के0भी0के, गन्ना संस्थान आदि से अगले वर्ष बीज की उपलब्धता हेतु वार्ता करने का निदेश दिया गया। साथ ही अगले वर्ष भौतिक लक्ष्य को 25000 हेक्टेयर तक ले जाने का प्रयास किया जाय।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)
6. कीटनाशक/फफूंदनाशक रसायन मद में कुल स्वीकृत लक्ष्य 10000 हे0 के विरूद्ध 2400 हे0 उपलब्धि प्रतिवेदित है। हसनपुर द्वारा इस मद में 4000 हे0 का अतिरिक्त लक्ष्य की मांग की गई है। साथ ही अगले वर्ष भौतिक लक्ष्य को 20000 हेक्टेयर रखने का निदेश दिया गया। कार्बनिक उर्वरक (बॉयो कम्पोस्ट) मद में स्वीकृत लक्ष्य 2000 हे0 के विरूद्ध 266 हे0 उपलब्धि प्रतिवेदित है। वर्तमान में हरिनगर, नरकटियागंज एवं विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज के पास कार्बनिक उर्वरक वितरण हेतु लाईसेंस उपलब्ध है। इसपर सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि अगले वर्ष से अन्य चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के लिए भी योजना में प्रावधान किया जाय।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)
7. बड चिप/सिंगल बड पद्धति से प्रत्यक्षण मद में 350 के विरूद्ध 121 उपलब्धि प्रतिवेदित है। इन मदों में 15 दिनों में उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश सभी को दिया गया। अगले वर्ष भौतिक लक्ष्य को 10000 एकड़ तक वृद्धि करने का निदेश दिया गया। बड चिप उत्पादन हेतु नर्सरी प्रोत्साहन की योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

   (अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)

8. प्रगतिशील गन्ना कृषकों के एक्सपोजर विजिट मद में स्वीकृत लक्ष्य 20 के विरूद्ध 17 उपलब्धि प्रतिवेदित है। शेष लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित उप निदेशक, ईख विकास)

9. एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण मद में 500 के विरूद्ध 467 प्रशिक्षण उपलब्धि प्रतिवेदित है। शेष प्रशिक्षण को शीघ्र पूरा करने का निदेश संबंधित को दिया गया।

(अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)

10. बैठक में 12 के विरूद्ध शेष बचे 01 राज्यस्तरीय सेमिनार का आयोजन पूसा में दिनांक–20.02.2025 को कराने का निदेश दिया गया। साथ ही सेमिनार में कृषि प्रर्दशर्नी एवं कुछ लाभान्वितों को दिनांक–20.02.2025 को होने वाले सेमिनार में प्रोत्साहित किये जाने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन–ईखायुक्त/संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)

गन्ना यंत्रिकरण योजना–

11. गन्ना यंत्रिकरण योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि चयनित आवेदकों को यंत्र क्रय में सुविधा हेतु कार्रवाई किया जाय तथा लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति की जाय। इस हेतु आवश्यकतानुसार लक्ष्य में अंतरपरिवर्तन भी किया जाय।

12. प्रशिक्षण कार्यक्रम में आवेदन को भी generate करवाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक, ईख विकास/संबंधित चीनी मिल तथा उप एवं सहायक निदेशक, ईख विकास)

गुड़ उद्योग योजना–

13. संयुक्त ईखायुक्त महोदय द्वारा बताया गया कि इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष (2024–25) में कुल 81 इकाई (लघु–50, मध्यम–25, वृहद –05 एवं बड़ी–01) का लक्ष्य रखा गया है। ऑनलाईन माध्यम से 30.11.2024 तक कुल 84 पूर्ण आवेदन प्राप्त हुए। जिसका दो चरणों में Randomization किया गया। प्रथम चरण के Randomization के पश्चात् कुल 84 पूर्ण आवेदनों में से 37 आवेदनों का Randomly चयन किया गया। परियोजना अनुमोदन समिति की समीक्षा के पश्चात् कुल 37 आवेदन में से 24 आवेदनों को अनुमोदित किया गया। द्वितीय चरण के Randomization एवं परियोजना अनुमोदन समिति की समीक्षा के पश्चात् एक आवेदन को अनुमोदित किया गया।

उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के अंतर्गत अबतक कुल 25 आवेदनों को अनुमोदित किया जा चुका है। जिसमें 19 आवेदनों का Sanction आर्डर ईख पदाधिकारियों द्वारा निर्गत हो चुका है। ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन प्राप्त करने की तिथि को विस्तारित कर दिनांक–28.02.2025 किया गया है।

(अनुपालन–संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, मु0/संबंधित ईख पदाधिकारी)

रेगुलेटरी शाखा अंतर्गत कार्यान्वित योजनायें–

14. चीनी मिलों के कार्यकलाप/संचालन की समीक्षा :

चालू पेराई सत्र 2024–25 अन्तर्गत दिनांक–07.02.2025 तक चीनी मिलों द्वारा लगभग 448.42 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई कर 40.92 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। रिकवरी प्रतिशत 9.13 प्रतिशत है। वर्तमान में राज्य की सभी 10 कार्यरत चीनी मिलों में पेराई का कार्य चल रहा है।

(अनुपालन–संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, मु0/संबंधित चीनी मिल एवं ईख पदाधिकारी)

15. चीनी मिलों द्वारा ईख मूल्य भुगतान की समीक्षा :

चालू पेराई सत्र 2024–25 अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा किये जा रहे ईख मूल्य भुगतान की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–10.02.2025 तक चीनी मिलों द्वारा औसतन 86.22 प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। गोपालगंज, रीगा एवं प्रतापपुर (उ०प्र०) चीनी मिलों का ईख मूल्य भुगतान प्रतिशत अपेक्षाकृत काफी कम पाया गया।

(अनुपालन–संयुक्त ईखायुक्त/सहायक ईखायुक्त, मु0/संबंधित चीनी मिल एवं ईख पदाधिकारी)

16. सरकार द्वारा गन्ना कृषकों को दिये जा रहे गन्ना क्रय में अतिरिक्त 10 रू०/क्विंटल गन्ना मूल्य के भुगतान की समीक्षा :

विभाग द्वारा मार्गदर्शिका/स्वीकृत्यादेश/आवंटनादश निर्गत किया गया है एवं सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भुगतेय राशि अन्तरण हो चुका है। CFMS के माध्यम से भुगतान हेतु कृषकों की आधार संख्या, जन्म तिथि एवं पता का पिन कोड आवश्यक है। सभी चीनी मिलों को संबंधित बैंको से वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु बैंको से समन्वय स्थापित करने का निदेष दिया गया है।

भुगतान एवं किसानों का पे–आईडी बनाने के संबंध में follow up हेतु ईखायुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक–04.02.2025 एवं 06.02.2025 को बैठक की गयी है। दिनांक–10.02.2024 तक 1,73,479 (31.12.2024 तक चीनी मिलों को आपूर्ति किये गये कृषकों की संख्या) गन्ना कृषकों के विरूद्ध लगभग 10,679 कृषकों की सम्पूर्ण

सूची पे–आईडी बनाने हेतु प्राप्त हो चुका है। ईख पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि जिन चीनी मिलों से कृषकों की वांछित सूचना प्राप्त हुई है, उन्हें CFMS में अपलोड किया गया है, परन्तु पे–आईडी generate होने में पद process / error message show हो रहा है।

(अनुपालन–संयुक्त ईखायुक्त / सहायक ईखायुक्त, मु0 / संबंधित चीनी मिल एवं ईख पदाधिकारी)

17. स्थापना शाखा की समीक्षा–

बैठक में स्थापना संबंधी मामले की समीक्षा की गई।

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td>विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रगति।</td>
<td>
गन्ना उद्योग विभाग अंतर्गत निम्नांकित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित है :
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पदनाम</th><th>अधियाचित पदों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ईख पदाधिकारी</td><td>03</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जनसेवक</td><td>180</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बीज उत्पादन सहायक</td><td>44</td></tr>
<tr><td>4</td><td>गतिशील कर्मचारी</td><td>25</td></tr>
<tr><td>5</td><td>निम्नवर्गीय लिपिक</td><td>22</td></tr>
<tr><td>6</td><td>कार्यालय परिचारी</td><td>19</td></tr>
<tr><td>7</td><td>आशुटंकक</td><td>03</td></tr>
<tr><td>8</td><td>चालक</td><td>17</td></tr>
<tr><td>9</td><td>कामदार</td><td>194</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>507</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>पदनाम</th><th>पदों की संख्या</th><th>अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>1</td><td>सहायक निदेशक एवं समकक्ष</td><td>66</td><td>नियमावली गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ईख प्रसार पदाधिकारी</td><td>87</td><td>नियमावली गठन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>सहायक परियोजना पदाधिकारी</td><td>22</td><td>उक्त पदों को ईख पदाधिकारी के पद में सम्परिवर्तन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td>175</td><td></td></tr>
</table>
शेष 59 पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली गठन अथवा पदो के सम्परिवर्तन / प्रत्यर्पण हेतु कार्रवाई की जा रही है।
</td>
</tr>
</table>

(अनुपालन–अवर सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संबंधित प्रशाखा पदा0)

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 01 / स्था–विविध–32 / 2024– 319/ई0आ0 पटना, दिनांक– 03-03 ~~फरवरी,~~ 2025

प्रतिलिपि– निदेशक, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ / निदेशक, ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा / मुख्यालय के संबंधित सभी पदाधिकारी एवं कर्मी / सभी उप निदेशक, ईख विकास / सभी सहायक निदेशक, ईख विकास / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / महाप्रबंधक, सभी चीनी मिल तथा विभागीय आई0टी0 प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञाप संख्या– 01 / स्था–विविध–32 / 2024– 319/ई0आ0 पटना, दिनांक– 03 ~~फरवरी~~, 2025

प्रतिलिपि– मा0 मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ईखायुक्त, बिहार।